

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

शंकर लाल न्याय क्षेत्री बंको

मा दावा हुकम नं. २९ सन् २०१८

हुकम या कार्यवाही भए तबहुतसाथर जस	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वकील वादीगण/वादी श्री <u>अजना राम वकील</u> ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक २१-०३-२०१८ को पेश हो।</p> <p>23⁰⁵/18 <u>पत्रावली पेश की</u> पत्रावली पेश करने पर फरिक्ते उप/अनुपस्थिति/अपस्थिति को /अन्य कारणों से अग्रिम कार्यवाही के लिए २०/०४/१८ को पेश की।</p>	<p>1092-53 16-3-118</p>
<p>20⁰⁶/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अग्रिम यात : न्याय आपके द्वारा-2018 के तहत केन्द्र स्थित अदालत सेवा केन्द्र टाकपुरा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादीगण की पहचान श्री अजना राम एड. ने की तथा प्रतिवादी नं. 1 की पहचान श्री बसन्त कुमार एड. ने की। उपस्थित फरकाफ को राजीनामा पढकर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित फरकाफ द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः हल्कव्वाहीश फरकाफ राजीनामा बाद तलवीक शामिल पत्रावली किया गया। वकलात उपपक्ष ने स्तुतिविक राजीनामा दावा डिक्री फामाया जाने का निवेदन किया।</p>	<p>शं. क्षेत्री शंकर लाल क्षेत्री</p>



जिस पर श्रमिधारी तहसीलदार छठेला ने जोर
आपति जाही नहीं की।

पत्रावली पर उपस्थित राजस्व रेन्डरि
पेशाशदा राजनाथ का अवलोकन किया जिनके
अवलोकन तथा लीक अदालत की प्रावना से
वादीगण का वाद स्वीकार किया जसकर
जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया
जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तब ग्राम रामपुरा तहसील छठेला जिला सीकर
राज. में अवस्थित श्रमि ख. नं. 176, 177
कब्जा 0.32 है. में से ख. नं. 176 कब्जा 0.08
है. सम्पूर्ण का वादी नं. 1 को तथा ख. नं. 177
कब्जा 0.24 है. सम्पूर्ण का वादीगण नं. 2 ता 6
को कहिसा करार काबिज काश्तकार द्योषित
किया जाकर श्रमि ख. नं. 176 से उतिवादी नं. 1
के सुतक पति पत्तापत्र पुत्र सुडापत्र व वादीगण
नं. 2 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है तथा
श्रमि ख. नं. 177 से उतिवादी नं. 1 के सुतक पति
पत्तापत्र पुत्र सुडापत्र व वादीगण नं. 1 का नाम
हजफ किया जाता है। उन्तनुसार राजस्व रेन्डरि
में अमल दलामद हो। तदनुसार पचरि डिकी जारी
हो। पत्रावली फेलत शुमार होकर नम्बर से
कम हो तथा वाद तज्मिल दाखिल दफतर हो।
निर्णय मजमें आम सुनाया गया।

20/6/18
जज
नयायक कोर्ट
(जास्ट ट्रेक) छठेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

ज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री मागीरथ शाख, RAS

नवान

①. शंकरलाल * बनाम ①. चोटी देवी *

वा बाबत घोषणा, दुल्हती रिकार्ड व ल्याई निवेदन

कदमा नम्बर :- 29/2018

दर्ज दिनांक :- 20/06/18

ह मुकदमा आज वास्तु इनफिसाल कतई रुबरु श्री मागीरथ शाख, RAS व हाजिरी

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री सज्जनाम

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन श्री मागीरथ शाख तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 176, 177 काबा. 0.32 हे. में ख. नं. 176 काबा. 0.08 हे. सम्पूर्ण काबा. नं. 1 को तथा ख. नं. 177 काबा. 0.24 हे. सम्पूर्ण काबा. नं. 2 ता 6 को अहिल्ला काबा. काकिज कासतला जोड़ित किया जाकर भूमि ख. नं. 176 से उत्तिवादी नं. 1 ले मुतल पानि पुलापम पुत्र सुडाला व नगीगावा नं. 2 ता 6 का नाम रजफ किया जाता है तथा भूमि ख. नं. 177 से *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

ह आज दिनांक 20/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री मागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

द के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
स		आदेशिका की तामील	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		कमिश्नर की फीस	
कमिश्नर की फीस			
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

* पुत्र श्यामलाल योत्र हणमान

② किशोर कुमार ③ बनवारी ④ सांभल

⑤ राजेन्द्र उषाद ⑥ महावीर उषाद पुत्रगण दुर्गलाल

योत्रगण कौडुम समस्त जाति माली निवासी रामपुरा
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

- वादीगण

बनाम


* पत्नी पत्ताराम जाति माली निवासी रामपुरा तहसील
खण्डेला जिला सीकर राज.

② भूमिधारी तहसीलसह खण्डेला जिला सीकर राज.

- उत्तिवादीगण



* उत्तिवादी नं. 1 के मृतक पत्नी पत्ताराम पुत्र सुडाताम व
वादीगण नं. 1 का नाम हजफ किया जाता है। उम्मानुषा
राजस्व रिकार्ड में उमल दामद हो।


मागीरंथ शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला